# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

## पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 238/19 | 10.07.2019 | 29/05/20 |

**उनवान**

01. असलम पुत्र श्री नवाब खां जाति मेव निवारी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादी

**बनाम**

01. दिगविजय कुमार चौधरी पुत्र श्री दिनेश जाति भूमिहार (ब्राहमण) निवासी यशोदा मठ, मुज्जफरपुर (बिहार)
02. सुरेश पत्नी श्री सुरजीत जाति जाट निवासी मकान नम्बर 707, वार्ड नं0 1 गुरूग्राम (हरियाणा)
03. रणजीत पुत्र श्री रामशंकर सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर सी.578, कुतुबविहार नई दिल्ली
04. मैसर्स शिल्पेक्स लेबोरेट्रिज लिमिटेड, भार्गव लेन-27, गोल बार्ड रोड, नई दिल्ली
05. कमलेश पत्नी श्री औमप्रकाश निवासी भंगरोला, हाल आबाद ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
06. हरेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वरसिंह जाति अहीर निवासी बागडौली, नई दिल्ली
07. अरूण कुमार पुत्र महेशप्रसाद सिंह निवासी 173, हरसुख अपार्टमेन्ट सा. 7 प्लाट 4, द्वारिका
08. पूनम पत्नी श्री नवीन निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
09. प्रदीप कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बी. 44, राजेन्द्र पार्क, गुरूग्राम (हरियाणा)
10. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा जिला अलवर (राज0) बहैसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 679/354 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजी में मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी 76.65 ऐयर भूमि में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के मध्य आपसी सहमति से आराजी का समझौता मौखिक तौर पर किया हुआ है। जिस अनुसार मिन वादी, विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 679/354 रकबा 2.56 है0 में से 76.65 ऐयर में से मुताबिक ट्रैस नक्शा पश्चिम की तरफ सडक के तिकाने भाग पर 0.18 है0 जो मिन वादी की अन्य आराजी के साथ लगता हुआ है तथा शेष हिस्सा 0.58 है0

बिक ट्रैस नक्शा पूर्व की तरफ प्रतिवादीगण के शामलात में है व पूर्व समझौता के अनुसार शामलात में ही रहेगा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। व राजस्व रिकार्ड में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य लिखित में तकासमा नहीं हुआ है बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी बावत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने मिन वादी को धमकी दी है कि विवादित आराजी का बंटवारा नहीं करने देंगे एवं वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन तारफेसिंग कर कब्जा करेगें, निर्माण करेगें एवं वादी के हिस्से में मजाहमत व मदाखलत पैदा करेगें तथा विवादित आराजी को संयुक्त राजस्व रिकार्ड की आड में दीगर लोगों को मुन्तकिल करेगें, इसलिए मिन वादी, प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। उपस्थित वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

वाद में दिनांक 24–02–2020 को संशोधित प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा स्कीम तैयार कर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने जरिये पत्र कमांक एलआर/2020/7378 दिनांक 18–06–2020 कुर्रे रिपोर्ट मय तरमीशुद्वा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। इस प्रकार दावा फाईनल डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 679/354 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

**सारणी**

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 01. | असलम पुत्र नवाब खां जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तह0 तिजारा खातेदार | 679/354/1 | 0.18 | बारानी 2 |
| 02. | मैसर्स सिल्पेक्स लेबोरेट्रिज लि0 सा0 भार्गव लेन–27, गोल बार्ड रोड, नई दिल्ली 3941.59 वर्गमीटर, दिगविजय कुमार चौधरी पुत्र दिनेश कुमार जाति ब्राहमण सा0 यशोदामठ मुज्जफरपुर बिहार 10.455 एयर, सुरेश पत्नि सुरजीत जाट सा0 मकान नं0 707 वार्ड नम्बर 1 गुडगांवा (हरि0) 10.03 एयर, रणजीत पुत्र रामशंकर सिंह राजपूत सा0 मकान नं0 सी–578 कुतुब बिहार नई दिल्ली 10.400 एयर, कमलेश पत्नि ओमप्रकाश अहीर सा0 भांगरोला हाल टपूकडा 29 एयर, हरेन्द्रकुमार पुत्र ईश्वर सिंह | 679/354/2 | 2.38 | बारानी 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अहीर सा0 बागडौली नई दिल्ली 16 एयर, असलम पुत्र नवाब खां मेव सा0 नाखनौल तह0 तिजारा 58.65 एयर, अरून कुमार पुत्र महेशप्रसाद सिंह जाति भूमिहार सा0 173 हरसुख अर्पाटमेन्ट सा0 7 प्लाट नं0 4 द्वारिका 10.12 एयर, पूनम पत्नि नवीन महाजन सा0 देह 10.59 एयर, प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण सा0 बी. 44, राजेन्द्र पार्क, गुरूग्राम 53.41 एयर खातेदार | | | |

तकसीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। पर्चा डिकी जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

K 29/09/20

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

20 वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 152 पेश किया गया प्रार्थना पत्र 152 स्वीकार कर मुताबिक प्रार्थना पत्र निर्णय व पर्चा डिक्री में संशोधन करते हुये वादी का खसरा नं० 679/354/1 रकबा 0.18 हैक्टर के स्थान पर 722/354 रकबा 0.1600 हैक्टर पढ़ा जावे। व आराजी ख०नं० 679/354 रकबा 2.38 हैक्टर के स्थान पर 679/354 रकबा 2.4000 हैक्टर में वादी का हिस्सा 60.65 एयर पढ़ा जावे व प्रति संख्या 9 मे० मिलेनियम का 3941.50 के स्थान पर 587/5120 हिस्सा पढ़ा जावे।

K